### TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)] Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 22 January, 2019,

G.S.R. (E). - In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2 and section 73 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

 (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), in sub-clause(xviii), after the words "Infrastructure Investment Trusts," the words "Real Estate Investment Trusts" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 16, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- It is hereby clarified that Form DPT-3 shall be used for filing return of deposit or particulars of transaction not considered as deposit or both by every company other than Government company.".

4. In the said rules, in rule 16(A), after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Every company other than Government company shall file a onetime return of outstanding receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 from the 01<sup>st</sup> April, 2014 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, as specified in Form DPT-3 within ninety days from the date of said publication of this notification along with fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.".

5. In the said rules, in the Annexure, for Form DPT-3, the following Form shall be substituted namely:-

"FORM	OPT-3
-------	-------

# **Return of deposits**

[Pursuant to rules 3 and 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]



Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

° Onetime Return for disclosure of details of outstanding money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies( Acceptance of Deposits) Rules, 2014

° Return of deposit or Return for disclosures of money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies( Acceptance of Deposits) Rules, 2014 or both

#### ° Return of deposit

1.	(a) *Corporate Identity Number (CIN)     Pre fill       (b) Global Location Number (GLN)     Pre fill
2.	(a) Name of the company (b) Registered office address
3.	(c) *email id Purpose of the Form
	<ul> <li>Return of Deposit</li> <li>Particulars of transactions by a company not considered as deposit as per rule 2 (I) (c) of the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014</li> <li>Return of Deposit and Particulars of transactions by a company not considered as deposit</li> </ul>
	Whether the company is o Public company o Private company *Whether the company is a government company o Yes o No

6. Objects of the company

7. (a) Date of issue of advertisement or circular	
(b) *Date of last closing of accounts	
(c) Date of expiry of validity of advertisement	or circular

8. \*Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-

Particulars	Amount (in Rupees)		
Paid up share capital			
Free reserves			
Securities Premium Account			
Accumulated loss			
Balance of deferred revenue expenditure			
Accumulated unprovided depreciation			
v) Miscellaneous expense and preliminary expenses			
Other intangible assets			
Net worth (a) – (b)			
Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)			
	Paid up share capitalFree reservesSecurities Premium AccountAccumulated lossBalance of deferred revenue expenditureAccumulated unprovided depreciationMiscellaneous expense and preliminary expensesOther intangible assetsNet worth (a) – (b)Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and		

9. * Total number of deposit holders as on 1 <sup>st</sup> April	
<ul><li>10. *Particulars of deposits (In Rupees)</li><li>(a) Amount of existing deposits as on 1st April</li></ul>	
(b) Amount of deposits renewed during the year	
(c) Amount of new deposits accepted during the year	
(i) Secured deposits	
(ii) Unsecured deposits	
(d) Amount of deposits repaid during the year	

•
Amount
,
,
,

(c) Short particulars of the property on which charge is created for securing depositors

(d) Value of the property

	ceived by a company		
ut not considered as deposits			
	1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules,		
as specified	in rule 16(A)(3)		
rticulars of rec	eipt of money or loan by a company but not considered as deposits	at the end of finance	
	se (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Depos		
		Amount	
	nount received from -		
	Central Government; or tate Government; or any amount received from any other source		
	repayment is guaranteed by the Central Government or State		
	nment; or		
	y amount received from a local authority; or		
	and an a state of the statutory authority constituted under an		
Act of Parliam	ent or a State Legislature.		
(b) Any a	mount received from -		
(i) (i)	Foreign Governments; or		
(ii)	Foreign or international banks;		
(iii)	Multilateral financial institutions;		
(iv)	Foreign Governments owned development financial institutions;		
(v)	Foreign export credit agencies;		
(vi)	Foreign collaborators;		
(vii)	Foreign body corporates;		
(viii)	Foreign citizens;		
(ix) (x)	Foreign authorities or; Persons residents outside India subject to the provisions of		
	Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).		

	(c)	Any amount received as -	
		(i) A loan or facility from any banking company; or	
		(ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or	
		(iii) From a banking institution notified by the Central Government	
		under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of	
		(iv) Accorrection new bank of defined in clause ( d ) of continue 2	
		<ul> <li>(iv) A corresponding new bank as defined in clause( d )of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of</li> </ul>	
		Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or	
1		(v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2	
		of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).	
	(d)	Any amount received as loan or financial assistance from -	
	(	(i) Public Financial Institutions notified by the Central	
		Government; or	
		(ii) Any regional financial institutions; or	
		(iii) Insurance companies; or	
		(iv) Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India	
		Act,1934 (2 of 1934).	
	(e)	Any amount received against issue of commercial paper or any other	
		instruments issued in accordance with the guidelines or notification	
-	(£)	issued by the Reserve Bank of India.	
	(1)	Any amount received by the company from any other company.	
	-		
	(g)	Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance	
		with the provisions of the Act towards subscription to any securities	
		including share application money or advance towards allotment of	
		securities pending allotment, so long as such amount is appropriated	
-	(1-)	only against the amount due on allotment of securities applied for.	
	(n)	Any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company or the relative of the	
		director of a private company.	
-	(i)	(A)Any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a	
	(.)	first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any	
		assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets	
		of the company; or	
		(B) bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the	
		company within ten years.	
	(j)	Any amount raised by the issue of non-convertible debentures not	
		constituting a charge on the assets of the company and listed on	
		recognized stock exchange as per applicable regulations made by	
		Securities and Exchange Board of India.	
	(k)	Any amount received from an employee of the company not exceeding	
		his annual salary under a contract of employment with the company in	
		the nature of non-interest bearing security deposit.	

(I) Any n	on-interest bearing amount received and held in trust.	
	amount received in course of , or for the purposes of the business	
of the	company-	
(1)	As an advance for sumply of goods or analisian of consists	
(i)	As an advance for supply of goods or provision of services	
	accounted for in any manner whatsoever provided that such	
	advance is appropriated against supply of goods or provision of	
	services within a period of three hundred and sixty five days	
	from the date of acceptance of such advance.	
(ii)	As advance accounted for in any manner whatsoever, received	
	in connection with consideration for immovable property under	
	an agreement or arrangement, provided that such advance is	
	adjusted against such property in accordance with the terms of	
	agreement or arrangement.	
(iii)	As security deposit for performance of the contract of supply of	
	goods or provision of services.	
(iv)	As advance received under long term projects for supply of	
	capital goods except those covered under item (b) of sub-clause	
	(xii) clause (c) of sub- rule (1) of rule (2) of the Companies	
	(Acceptance of Deposits) Rules, 2014.	
(v)	As an advance towards consideration for providing future	
	services in the form of a warranty or maintenance contract as	
	per written agreement, if the period for providing such services	
	does not exceed the period prevalent as per common business	
	practice or five years, from the date of acceptance of such	
	service whichever is less.	
(vi)	As advance received and allowed by any sectoral regulator or in	
	accordance with directions of Central or State Government.	
(vii)	As an advance for subscription towards publication, whether in	
	print or electronic to be adjusted against receipt of such	
	publications.	
(viii)	Any amount brought in by promoters of the company by way of	
	unsecured loans in pursuance of the stipulation of any lending	
	financial institution.	
(ix)	Any amount received by a Nidhi company in accordance with	
	the rules made under section 406 of the Act.	
(x)	Any amount received by way of subscription in respect of chit	
()	under the Chit Funds Act, 1982(4 of 1982).	
(xi)	Any amount received by company under any collective	
()	Investment scheme in compliance with regulations framed by	
	the Securities and Exchange Board of India.	
(xii)	Any amount of twenty five lakh rupees or more received by a	
()	start up company, by way of convertible note (convertible into	
	equity shares or repayable within a period not exceeding five	
	years from the date of issue) in a single tranche, from a person.	
	years nom the date of issue, in a single tranche, nom a person.	

(xiii) Any amount received by a com	any from -	
(A) Alternate Investment	Funds;	
(B) Domestic venture Ca	pital Funds;	
(C) Infrastructure Invest	nents Trusts;	
(D) Real Estate Investme		
	ered with the Securities and	
Exchange Board of In	Jia.	
ttachments	List	of attachments
	Attach	
. Auditor's certificate;	Attach	
. Copy of trust deed;		
(b) Copy of instrument creating	Attach	
charge;		
(c) List of depositors;	Attach	
<ul><li>(d) Details of liquid assets;</li><li>(e) Optional attachment, if any.</li></ul>	Attach	
(e) Optional attachment, if any.	Attach	move attachment
		nove attachment
	claration	
am authorized by the Board of Directors of the Comp		
	declare that all the requirements of	
nd the rules made thereunder in respect of the sub een complied with. I also declare that all the informat		
he attachments to this form and nothing material ha		rect and complete melde
To be digitally signed by	seen suppressed.	
DSC BOX		
Designation		
Designation DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or		

Modify	Check Form	Prescrutiny	Submit
For office use only:		Affix filing details	
eForm Service request number (SRN)		eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby re Digital signature of the		Confirm submission	
Date of signing		(DD/MM/YYYY)	

[File No 1/8/2013-CL-V]

Joint Secretary to the Government of India

**Note.** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and were subsequently amended -

(1) vide notification number G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;

(2) vide notification number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;

(3) vide notification number G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;

(4) vide notification number G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;

(5) vide notification number G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;

(6) vide notification number G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017; and

(7) vide notification number G.S.R.612(E), dated 5th July, 2018.

### [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय **अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख 22, जनवरी, 2019

सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ).– केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (31) और धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 है।
 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के, उप-नियम (1) के, खंड (ग) के, उपखंड (xviii) में, "अवसंरचना निवेश न्यास", शब्दों के पश्चात् "स्थावर संपदा निवेश न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 16 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

*"स्पष्टीकरण.-* यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी द्वारा प्ररूप डीपीटी-3 का उपयोग जमा का विवरण फाइल करने या संव्यवहार के विवरण जिन्हें जमा के रूप में या दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है उपयोग किया जाएगा।"  उक्त नियमों में, नियम 16(क) के, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) सरकारी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी किसी कंपनी द्वारा धन या ऋण की बकाया रसीद की विवरणी जिसे जमा के रूप में नहीं माना गया है, तारीख 01 अप्रैल, 2014 से नियम 2 के, उप-नियम (1) के खंड (ग) के अनुसार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जैसा कि प्ररूप डीपीटी-3 में निर्दिष्ट है, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में, यथा उपबंधित शुल्क के साथ इस अधिसूचना के उक्त प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर फाइल करेगी।"।

 उक्त नियमों के, उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप डीपीटी-3				
जमा की विवरणी	11865			
[कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम,				
2014 के नियम 3 और 16 के	सत्यमेव जयते			
अनुसरण में]				
प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हि प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें	दी			
<ul> <li>किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाय</li> </ul>	ा धन राशि या ऋण प्राप्ति के ब्यौरे के प्रकटीकरण			
के लिए एकमुश्त विवरणी जिसे कंपनी (ज	मा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के			
निबंधनों के अनुसार जमा के रूप में नहीं	माना गया है।			
० किसी कंपनी द्वारा प्राप्ति धन राशि या ऋण के जमा की विवरणी या प्रकटीकरणों के				
	कृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के निबंधनों			
के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गय				
० किसी कंपनी द्वारा प्राप्ति धन र				
1. (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (पूर्व पूरित)				
(ख) वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी	एलएन)			
2. (क) कंपनी का नाम				
(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता				
C C				
(ग) *ई-मेल आईडी				
3. प्ररूप का प्रयोजन				
o जमा की विवरणी				
• किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों	का विवरण जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम,			
2014 के नियम 2(1)(ग)	के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।			

	० किसी	कंपनी द्वारा जमा की विवरणी और संव्यवहारों का विवर	ण जिसे जमा नहीं	
मान	ा गया है।			
4.	क्या कंप	नी है 0 सार्वजनिक कंपनी 0 निजी कंपनी		
5.	*क्या कंप	ानी सरकारी कंपनी है O हां O नहीं		
6.	कंपनी के	उद्देश्य		
7.	(क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख			
	(ख) * <del>3</del>	तिम लेखा बंद करने की तारीख		
	(ग) विज्ञ	ापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख		
8.	*विवरणी	की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनु	सार निवल मूल्य-	
	क्रम सं.	विवरण	रकम (रुपयों में)	
	(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूंजी		
	(ii)	मुक्त आरक्षितियां		
	(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा		
	(ख) (i)	संकलित हानि		
	(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष		
	(iii)	उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन		
	(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च		
	(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां		
	(ग)	निवल मूल्य (क) – (ख)		
	(ঘ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी		
		पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य		
		सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)		
9.	*01 भूपे	ल को जमाधारकों की कुल संख्या		
10.		ग विवरण (रुपये में)		
10.	a diama a			
(क)	01 अप्रैल	न को वर्तमान जमा रकम		
(ख)	वर्ष के द	ौरान नवीकृत जमा रकम		

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा रकम	_
(i) प्रतिभूत जमा	
(ii) अप्रतिभूत जमा	
(घ) वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा रकम	
(ड.) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष	
11. (क) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया	गया
(ख) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है और जिसका दावा किया गर	या, परंतु भुगतान
नहीं किया गया	
12. *नकद आस्तियों का विवरण	
(क) वित्तीय वर्ष के अंत में परिपक्व होने वाली जमा रकम और आने वाले परिपक्व होने वाली जमा रकम	आगामी वर्ष में
(ख) नकद आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि	
(ग) नकद आस्तियों का विवरण	
विवरण	रकम
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या	
अन्य जमा खाते में राशि	
(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगमरहित प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष	
मूल्य	
बाजार मूल्य	
(ग) विल्लंगमरहित न्यास प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य	
बाजार मूल्य	
<ul> <li>13. प्रभार का विवरण</li> <li>(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख</li> </ul>	
(ख)न्यासी का नाम	
(ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार का सृजन वि	म्या जन्म है का
(ग) संपादत जिस पर जमाकताजा का सुरक्षा के लिए प्रमार का सृजन वि संक्षिप्त विवरण	ତାମା ୪, ୩
(घ) संपत्ति का मूल्य	

14. कंपनी द्वारा प्राप्त कुल बकाया राशि या ऋण की कुल राशि, लेकिन नियम 16(क)(3) में यथा निर्दिष्ट कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा नहीं माना गया। 15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया \_

(क) (i) केंद्रीय सरकार; या	
(ii) किसी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त की गई राशि; या किसी अन्य स्रोत	
से प्राप्त धनराशि जिसके प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार या किसी	
राज्य सरकार द्वारा है, या	
(iii) किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि; या	
(iv) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम के अधीन गठित	
किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त कोई धनराशि।	-
(ख) (i) विदेशी सरकारों; या	
(ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों;	
(iii) बह्पक्षीय वित्तीय संस्थानों;	
(iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाले विकास वित्तीय संस्थाओं;	
(v) विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियों;	
(vi) विदेशी सहयोगकर्ताओं;	
(vii) विदेशी निकाय कारपोरेट;	
(viii) विदेशी नागरिकों;	
(ix) विदेशी प्राधिकारी या;	
(x) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के	
अधीन भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त कोई रकम।	

(ग) (i) किसी बैंककारी कंपनी से ऋण या सुविधा; या	
(ii) भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगी बैंक से; या	
(iii) केंद्रीय सरकार दवारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949	
का 10) की धारा 51 के अधीन अधिसूचित किसी बैंककारी संस्थान से; या	
(iv) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	
(1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित समनुरूप नए	
बैंक; या	
(v) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के	
खंड (ख-ii) में यथा परिभाषित किसी सहकारी बैंक से प्राप्त कोई रकम।	
(घ) निम्नलिखित से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई रकम-	
(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं; या	
(ii) किन्हीं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं; या	
(iii) बीमा कंपनियों; या	
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा	
परिभाषित अनुसूचित बैंक।	
(ङ) वाणिज्यिक कागजात जारी किए जाने के विरूद्ध या भारतीय रिजर्व	·
बैंक के दिशा-निर्देशों या अधिसूचना के अन्सार जारी किसी अन्य	. []
लिखत से प्राप्त कोई रकम।	1
(च) किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी से प्राप्त कोई रकम।	
(छ) किसी प्रतिभूति के अभिदान के लेखे अधिनियम के उपबंधों के अन्सार	
किए गए किसी प्रस्ताव के अन्सरण में प्राप्त और धारित कोई रकम	
जसके अधीन शेयर आवेदन राशि या प्रतिभूति के लंबित आबंटन के	
प्रति अग्रिम राशि भी है, जहां तक यह धनराशि आवेदन की गई	
प्रतिभूति के आबंटन के कारण बकाया राशि में विनियोजित की जाती	
है।	

(ज)कोई व्यक्ति जो रकम की प्राप्ति के समय कंपनी का एक निदेश	क
या किसी निजी कंपनी के निदेशक का संबंधी था, से प्राप्त को	ış
रकम।	
(झ)(क) किसी कंपनी की अमूर्त आस्तियों के अलावा अधिनियम व	की
अन्सूची III में निर्दिष्ट किसी आस्ति पर प्रथम प्रभार के साथ प्रथ	
प्रभार या समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत बांड या डिबेंचर जारी कर	
ज्टाई गई कोई धनराशि; या	
(ख) दस वर्ष के भीतर कंपनी के शेयरों में अनिवार्यत: संपरिवर्तनी	ज
(ख) दस पप फ मातर फपना फ रापरा म आनपायत. समारपतना बांड/डिबेंचर।	Ч
915/1594441	
(न) भगनीय प्रतिशति और विनियम कोई क्वाय केला जा जा	
(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए ला जिन्मानों के अनगर सम्प्रमाण्य नगर एक प्रतान के स्वीत कि स्वीत के अनगर स्वान के स्वीत के स्वीत कि स्वीत के	
विनियमनों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीब	
कंपनी की आस्तियों पर कोई प्रभार नहीं बनने वाले अपरिवर्तनी	14
डिबेंचरों के निर्गमन द्वारा जुटायी गई कोई रकम।	
	x
(ट) कंपनी के किसी कर्मचारी से ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप	
प्राप्त कोई रकम जो कंपनी के साथ रोजगार संविदा के अधीन उस	कि
वार्षिक वेतन से अधिक न हो।	
(ठ) कोई ब्याज रहित प्राप्त और न्यास में धारित रकम।	
(ड) कंपनी के कारोबार के दौरान या इसके प्रयोजनार्थ प्राप्त कोई रक	ज्म
जो -	
	×
(i) माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी स्वरूप	
प्राप्त अग्रिम परंतु उक्त अग्रिम का विनियोजन माल की आपूर्ति	
सेवाएं प्रदान करने के प्रति उक्त अग्रिम की स्वीकृति की तारीख	
तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के भीतर विनियोजित कर ली जा	ए।

and and		
	किसी करार या ठहराव के अधीन स्थावर संपत्ति के प्रतिफल के संबंध में किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्रिम लेखा-जोखा, परंतु उक्त अग्रिम, करार या ठहराव के निबंधनों के अनुसार ऐसी संपत्ति के विरुद्ध समायोजित कर ली जाती है।	
(iii)	माल की आपूर्ति या सेवाओं के उपबंध किए जाने के लिए संविदा के निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में।	
(iv)	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (xii) की मद (ख) के अधीन आने वाले माल के अलावा पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं के अधीन प्राप्त अग्रिम के रूप में।	
(v)	लिखित करार के अनुसार किसी वारंटी या अनुरक्षण संविदा के रूप में, भावी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल के लिए अग्रिम के रूप में, यदि इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए अवधि ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से सामान्य कारबार व्यवस्था के अनुसार विद्यमान अवधि से अनधिक या पांच वर्ष जो भी कम हो, होती है।	
(vi)	किसी क्षेत्रीय नियामक द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार प्राप्त और अनुज्ञात अग्रिम के रूप में।	
(vii)	प्रकाशन के लिए, चाहे वह प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक हो, अंशदान के लिए अग्रिम के रूप में ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के लिए समायोजित की जाएगी।	
(viii)	किसी उधार देने वाली वित्तीय संस्था के अनुबंध के अनुसरण में अप्रतिभूति ऋणों की रीति द्वारा कंपनी के प्रायोजकों द्वारा लाई गई कोई रकम।	
(ix)	इस अधिनियम की धारा 406 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी निधि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई रकम।	

(x)	चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 4) के अधीन चिट के संबंध	
	में अंशदान की रीति द्वारा प्राप्त कोई रकम।	
(xi)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विनियमों	
	के अनुपालन में किसी सामूहिक निवेश स्कीम के अंतर्गत कंपनी	
	द्वारा प्राप्त कोई रकम।	
(xii)	किसी व्यक्ति से किसी एकल भाग में परिवर्तनीय नोट (जारी होने	
	की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर इक्विटी	· · ·
	शेयरों में परिवर्तनीय या पुनः भुगतान योग्य), की रीति द्वारा किसी	
	स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख रुपये या इससे अधिक	
	की कोई रकम।	
(xiii)	निम्नलिखित से किसी कंपनी द्वारा प्राप्त कोई रकम-	
	(क) वैकल्पिक निवेश निधियां;	
	(ख) घरेलू उद्यम पूंजी निधियां;	
	(ग) अवसंरचना निवेश न्यास;	
	(घ) स्थावर संपदा निवेश न्यास;	
1.1.1	(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत म्युचुअल फंड।	

		संलग्नकों की सूची
1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	संलग्न करें	
2. न्यास विलेख की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
3. प्रभार सृजित करने की लिखत की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
4. जमाकर्ताओं की सूची	संलग्न करें	
5. नकद आस्तियों का विवरण	संलग्न करें	
6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें	
		संलग्नक हटाएं
घोषणा		
ते, कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा तारीख *	के संव	ल्प संख्या *
माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह		
कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे अनुषंगि		c
13 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी		
भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नकों		0
	-	ו מחררו קעסוו מפו, מ
र संपूर्ण है तथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई व	नहा गड़ हा	
अजिटल हस्ताक्षर डीएससी बॉक्स		
אסוכני פרנווגוע שוענו		
दनाम		
नेदेशक का डिन; या प्रबंधक या		
ईओ या सीएफओ का डिन या पैन; या कंपनी सर्गि	वेव की सदस्यत	ग संख्या

:

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ प्रस्तुति की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)"

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V]

क. वी. आर. मूर्ति) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

- (1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ), तारीख 06 जून, 2014;
- (2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
- (3) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ), तारीख 15 सितंबर, 2015;
- (4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ), तारीख 29 जून, 2016;
- (5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 मई, 2017;
- (6) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 19 सितंबर, 2017; और
- (7) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 ।